

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/ग्रामीण नर्स-2/2011/

दिनांक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय:- ग्रामीण नर्स द्वितीय के स्थाईकरण किये जाने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक नर्सिंग/ग्रामीण नर्स-2/2011/818 दिनांक 19.8.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जिन ग्रामीण नर्स श्रेणी द्वितीय को दो वर्ष का परिविक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण हो चुका है को नियम 36 (1) (सी) के तहत स्थाईकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव निदेशालय में भिजवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे परन्तु यह देखने में आया है कि आप द्वारा स्थाईकरण के प्रस्ताव नहीं भिजवाये जा रहे हैं।

अतः आपके अधीन ऐसे ग्रामीण नर्स द्वितीय जिनके स्थाईकरण के प्रस्ताव आप द्वारा नहीं भिजवाये गये हैं तुरन्त ही स्थाईकरण के प्रस्ताव निम्न प्रपत्र में सात दिवस में भिजवाने का श्रम करें :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	निदे. के आदेश क. एवं दि. एवं क.सं.	कार्यग्रहण तिथि	प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि	कार्य संतोषजनक है या नहीं	अन्य विवरण (अनुपस्थिति आदि के बारे में)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/ग्रामीण नर्स-2/2011/1367

प्रतिलिपी प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना को विभाग की वेब साईट पर डाउन लोड करें।

दिनांक 5/12/2011

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर